(1) <u>विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती</u>
<u>शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि</u>
<u>निर्णय दिनांक 16–01–18</u>
पीठासीन अधिकारीः डाॅ० कुलदीप जैन

<u>न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (डकैती) क्षेत्र कं.—1, भिण्ड (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी—डॉ० कुलदीप जैन)

> विशेष प्रकरण कमांकः 51 / 2011 डकैती संस्थापन दिनांकः 05—11—2011 फाइलिंग नंबर 230301005642011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रौन, जिला–भिण्ड (म०प्र०)

....<u>अभियोगी</u>

विरुद्ध

- मनोज कुमार पुत्र ज्वाली प्रसाद जाटव उम्र—32 वर्ष निवासी—मछरैया थाना — मिहोना जिला भिण्ड (म0प्र0)
- 2. छोटू उर्फ विमलेश पुत्र मेवालाल जाटव उम्र 28 वर्ष निवासी गली नंबर 4 यदुनाथ नगर भिण्ड (म०प्र०)
- छोटू खां पुत्र वहीद उर्फ अल्लादीन खां उम्र—25 वर्ष निवासी तूमरा थाना कौंच जिला जालौन (उ०प्र०)

..<u>अभियुक्तगण</u>

अभियोजन द्वारा श्री जे०पी० दीक्षित अपर लोक अभियोजक। अभियुक्त मनोज द्वारा श्री रामनिवास राठौर अधिवक्ता। अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश द्वारा श्री सत्यप्रकाश गोयल अधिवक्ता। अभियुक्त छोटू खां द्वारा श्री आनंद बरूआ अधिवक्ता।

:: नि **र्ण य** :: (आज दिनांक **16—01—2018** को घोषित किया गया)

1. अभियुक्तगण मनोज कुमार एवं छोटू उर्फ विमलेश पर भा०दं०सं० की धारा 394 सहपिटत धारा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के.एक्ट के अंतर्गत दिनांक 20–06–2011 के 20:15 बजे ग्राम बिरखड़ी के आगे बंधा रोड अंतर्गत थाना रौन, जिला भिण्ड जहां पर एम.पी.डी.व्ही.पी.के.एक्ट प्रभाव शील था, में सह आरोपीगण के साथ संयुक्त होकर मुलायमसिंह से 800/-रूपये तथा उसका मोबाइल एवं उसके चाचा देवेन्द्र से 1500/

(2) <u>विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती</u>
<u>शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि</u>
<u>निर्णय दिनांक 16–01–18</u>
पीठासीन अधिकारीः डाॅ० कुलदीप जैन

रूपये छीनकर लूट कारित करने एवं अभियुक्त छोटू खां पर भा०दं०सं० की धारा 412 सहपिटत धारा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के.एक्ट के अंतर्गत उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फिरयादी मुलायमिसंह से एक मोटर सायिकल कु० एच.आर.—26 आर.—2257 कीमती 15000/—रूपये, जो चुराई हुई थी, बेईमानी से प्राप्त की गयी, जिसके कब्जे के विषय में जानने और विश्वास करने का कारण रखते थे कि वह डकैती द्वारा अर्जित की गयी है/अभियुक्त मनोज जाटव एवं उनके साथियों से जिसके संबंध में जानते या विश्वास करने का कारण रखते थे कि वह डकैती वह डकुओं की टोली का है, या रहा है, बेईमानी से प्राप्त करने के अपराध का अभियोग है।

FN-230301005642011

- 2. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस प्रकरण के विचारण के दौरान सह—अभियुक्त अमित एवं जितेन्द्र के फरार हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 26—04—2017 को फरार घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया गया है तथा इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्रमांक एफ 1—7—81—बी—21दिनांक 19 मई—1981 मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981 (1981 का संख्या—5) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय की सलाह से एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम—(2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की उक्त अनुसूची के कॉलम—(2) में राजस्व जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में राजस्व जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम—1981 प्रभावशील है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षिप्तः यह बतायी जाती है कि घटना दिनांक 20-06-2011 को फरियादी अपनी मोटर सायकिल क्रमांक एच.आर.

<u> गीठासीन अधिकारीः डॉ० क्लदीप</u> जैन 26 आर.—2257 बॉक्सर से अपने चाचा देवेन्द्र सिंह के साथ न्योता

FN-230301005642011

खाने सायपुरा गये थे और न्योता खाकर सायपुरा से वापस आ रहे थे एवं ग्राम बिरखडी से आगे बंधा पर समय करीबन पौने नौ बजे आये तभी रोड के दोनों तरफ दो-दो लड़के मुंह बांधे खड़े थे और हाथों में लाठी-डण्डा लिये थे और फरियादी की मोटर सायकिल रोक कर लाठी—डण्डों से फरियादी व उसके चाचा देवेन्द्रसिंह की मारपीट की जिससे शरीर में जगह-जगह चोटें आयीं और दोनों को हाथ बांधकर रोड के बगल खन्ती में पटक दिया और जेब से 800 / — रूपये तथा एक नोकिया का मोबाइल, नंबर 9977441621 व चाचा देवेन्द्रसिंह 💇 की जेब से 1500 / — रूपये छीनकर बिरखड़ी की तरफ भाग गये। तद्नुसार फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना रौन जिला भिण्ड के अपराध क्रमांक 128 / 2011 अंतर्गत धारा 394, 34 भा0दं०सं० सह पठित धारा 11 / 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के.एक्ट प्रदर्श पी-1 पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 🧷

- अभियुक्तगण मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश पर भा.दं.सं. की धारा 4. 394 सहपठित धारा 11 / 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के.एक्ट एवं छोटू खां पर भा.दं.सं. की धारा 412 सहपठित धारा 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के.एक्ट का आरोप लगाये जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया है एवं धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है एवं बचाव में अभियुक्तगण की ओर से किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-5.
 - क्या अभियुक्त मनोज कुमार एवं छोटू उर्फ विमलेश द्वारा (अ) दिनांक 20-06-2011 के 20:15 बजे ग्राम बिरखड़ी के आगे बंधा रोड अंतर्गत थाना रौन, जिला भिण्ड जहां पर एम.पी.डी.व्ही.पी.

<u>FN-230301005642011</u> (4)

विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि निर्णय दिनांक 16–01–18 पीठासीन अधिकारीः डॉ0 कुलदीप जैन

के.एक्ट प्रभावशील था,में सह—आरोपीगण के साथ संयुक्त होकर मुलायमसिंह से 800 / – रूपये तथा उसका मोबाइल एवं उसके चाचा देवेन्द्र से 1500 / – रूपये छीनकर लूट कारित की?

- (ब) क्या अभियुक्त छोटू खां ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मुलायम सिंह से एक मोटर सायिकल क0 एच.आर—26 आर—2257 कीमती 15000/—रूपये, जो चुराई हुई थी, बेईमानी से प्राप्त की गयी,जिसके कब्जे के विषय में जानने और विश्वास करने का कारण रखते थे कि वह डकैती द्वारा अर्जित की गयी है/अभियुक्त मनोज जाटव एवं उनके साथियों से जिसके संबंध में जानते या विश्वास करने का कारण रखते थे कि वह डाकुओं की टोली का है, या रहा है, बेईमानी से प्राप्त की?
- (स) निष्कर्ष ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

- 6. अभियोजन ने अपने समर्थन में साक्षी मुलायम सिंह उर्फ मुन्ना (अ०सा0–1), शेरसिंह (अ०सा0–2), देवेन्द्र सिंह (अ०सा0–3), रामरूप सिंह (अ०सा0–4), दिनेश शर्मा (अ०सा0–5), डाॅ० आर०एल० शर्मा (अ०सा0–6), एस०डी० गौतम (अ०सा0–7), सर्वेश कुमार (अ०सा0–8), सिंहत कुल ०८ साक्षियों को प्रस्तुत किया है। प्रतिरक्षा में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 7. अभियोजन का संपूर्ण मामला प्रथमतः निम्न स्वरूप की अभिसाक्ष्य पर आधारित है :--
 - (1) मुलायम सिंह उर्फ मुन्ना (अ०सा०–1), देवेन्द्र सिंह (अ०सा०–3), फरियादी / आहत साक्षी।
 - (2) रामरूप सिंह (अ०सा०-4), घटना के संबंध में कथन।
 - (3) शेरसिंह (अ०सा0-2), दिनेश शर्मा (अ०सा0-5) गिरफ्तारी

(5) <u>विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती</u>
<u>शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि</u>
<u>निर्णय दिनांक 16–01–18</u>
<u>पीठासीन अधिकारीः डॉ० कुलदीप जैन</u>

मैमोरेण्डम एवं जब्ती के साक्षी।

- (4) डॉ० आर०एल० शर्मा (अ०सा०–६) चिकित्सीय साक्षी।
- (5) सर्वेश कुमार (अ०सा०–8), शिनाख्तगी कार्यवाही साक्षी।
- (6) एस०डी० गौतम (अ०सा०–७) विवेचक साक्षी।
- जहां तक अभियोजन का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से फरियादी 8. मुलायमसिंह उर्फ मुन्ना (अ०सा०-1) का कथन कराया गया है। उसने अपने कथन में कहा है कि वह अभियुक्त अमित, जितेन्द्र, मनोज एवं छोटू उर्फ विमलेश को जानता है। घटना दिनांक को वह बिरखड़ी से नौधा की रोड़ होकर अपने गाँव नबलपुरा अपनी मोटर सायकिल 💇 बॉक्सर कं0–एचआर–26 आर–2257 से जा रहा था और जैसे ही वह नौधा एवं बिरखडी के बीच बने बंधा मोड़ पर पहुंचा तो चारों आरोपी रोड पर खडे थे, जो लाठी और 315 बोर का कटटा लिये हुये थे। उन्होंने उसकी मारपीट प्रारंभ कर दी और उसके हाथ-पैर बांध कर सड़क के किनारे पटक दिया और उसकी मोटर सायकिल और नोकिया मोबाइल कं0-9977441621 छुड़ा कर ले/ग्ये और बदमाश बिरखड़ी तरफ भाग गये थे। घटना के समय उसके चाचा मौजूद थे उन्हें भी बदमाशों ने बांध कर डाल दिया था। उन्होंने किसी तरह अपने हाथ खोल लिये और फिर उसे खोला वह गाँव पहुंचा और उसके बाद रौन थाने आया जहाँ उसने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट लेख करायी जिसके ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताते हुये पुलिस द्वारा घटना स्थल का मानचित्र प्रदर्श पी-2 तैयार किये जाने और उसके ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने एवं तहसीलदार के समक्ष शिनाख्त कार्यवाही में अभियुक्त अमित, मनोज, जितेन्द्र को पहचानने और पहचान पंचनामा प्रदर्श पी-3 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने और बाद में अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश की

(6) विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती

शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि

निर्णय दिनांक 16-01-18

पीठासीन अधिकारी: डाॅ० कुलदीप जैन

पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी-4 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने और बाद में उसकी मोटरसायकिल बरामद होने और मोटर सायकिल उसे रौन थाने से प्राप्त होना बताया है।

FN-230301005642011

- साक्षी देवेन्द्रसिंह (अ०सा0-3) द्वारा अपने कथन में कहा है कि घटना 9. दिनांक को वह और मुलायम सिंह मोटर सायकिल से सायपुरा से नवलपुरा की ओर आ रहे थे और जैसे ही वह लोग बिरखड़ी और नौधा गाँव के बीच पहुंचे वैसे ही चार लोग आये और उन्होंने उन लोगों को चलती गाडी में हॉकी मारी जिससे वह लोग मय मोटर सायिकल के गिर पड़े और उक्त चारों लोगों ने हॉकियों से उसकी 🖎 और मुलायम सिंह की मारपीट की और चारों लोगों ने उसके और मुलायम सिंह के हाथ पीछे बांधे दिये एवं उन लोगों की मोटर सायकिल और उसके 1500/-रूपये और मुलायम सिंह के 800/-रूपये और मोबाइल छुड़ाकर भाग गये थे। घटना के समय आसपास के लोग नहीं आये और फिर उन लोगों ने अपने-अपने हाथ छोड़े और घटना की रिपोर्ट करने थाना रौन गये थे / घटना की रिपोर्ट मुलायम सिंह द्वारा लिखाया जाना बताते हुये वह घटना करने वालों को पहचान नहीं पाया था और न्यायालय उपस्थित अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के साथ घटना कारित किये जाने से इंकार किया है। उसे अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है और पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं दिया है जिससे कि अभियोजन का समर्थन हो सके।
- 10. साक्षी शेर सिंह (अ०सा०-2), रामरूप (अ०सा०-4), दिनेश कुमार (अ०सा०-5) भी पक्षद्रोही रहे हैं। उन्होंने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, मात्र गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-5 मैमो प्रदर्श पी-6 जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-7, मैमो प्रदर्श पी-11 और जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-12

पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षियों ने ऐसा कोई कथन नहीं दिया है जिससे कि आरोप का कोई समर्थन हो सके।

- 11. साक्षी डॉ० आरंग्एल० शर्मा (अ०सा०—६) द्वारा अपने कथन दिनांक 21.6.11 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र रौन पर मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुये आरक्षक समरथ सिंह नं0—421 थाना रौन द्वारा आहत मुलायमसिंह को मेडीकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर एक खरोंच पेट पर दाहिनी तरफ आकार 2 गुणा 2 से०मी० एवं एक खरोंच दाहिने घुटने पर आकार 2 गुणा 2 से०मी० आना बताते हुये उक्त दोनों चोटें कठोर एवं मौथरे हथियार से आयी होकर साधारण प्रकृति की होना स्वीकार किया है एवं रिपोर्ट प्रदर्श पी—13 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।
- 12. उक्त साक्षी डॉ०आर०एल० शर्मा (अ०सा०—६) द्वारा उक्त दिनांक को आरक्षक समरथ सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत देवेन्द्र सिंह का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने और चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एक नील का निशान दाहिनी भुजा पर उपरी हिस्से में आकार 2 गुणा 2 से०मी० एवं एक नील का निशान सीने में पीछे की ओर बीच में वायीं ओर आकार 5 गुणा 5 से०मी० एवं एक नील का निशान वायी जांघ पर बीच में सामने की ओर आकार 2 गुणा 1 से०मी० एवं एक नील का निशान दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली पर आधार भाग पर आकार 1 गुणा 1 से०मी० आना बताते हुये उक्त सभी चोटें कठोर और मौथरी वस्तु द्वारा पहुंचायी जाकर चोट कं0—1, 3, 4 साधारण प्रकृति की और चोट कं0—2 के लिए एक्सरे की सलाह दिया जाना बताते हुये चोटों की अवधि 24 घण्टे के अंदर की होकर उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट प्रदर्श पी—14 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार

विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि निर्णय दिनांक 16–01–18 पीठासीन अधिकारीः डॉ० कुलदीप जैन

किया है।

13. साक्षी सर्वेश कुमार (अ०सा०—8) द्वारा अपने कथन में दिनांक 27.08.11 को तहसील कार्यालय भिण्ड में नायब तहसीलदार वृत्त पीपरी के पद पर पदस्थ होकर थाना रौन के द्वारा भेजी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार, जितेन्द्र, मनोज एवं दिनांक 21.10.11 को अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश की पहचान सब—जेल भिण्ड में उन्हीं के कद काठी के अन्य आरोपीगण को मिलाकर फरियादी मुलायम सिंह से कराये जाने और फरियादी द्वारा चारों अभियुक्तगण को सही पहचानना बताते हुये शिनाख्ती मैमो प्रदर्श पी—3 एवं 4 के बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

(8)

- 14. विवेचक साक्षी एस0डी० गौतम (अ०सा0—7) द्वारा दिनांक 21.06.11 को थाना रौन में एएसआई के पद पर पदस्थ रहते हुये थाना रौन के अप0कं0 128/11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 394 भा0दं0सं0 विवेचना हेतु प्राप्त हुयी थी और उक्त एफ0आई0आर0 एएसआई रामजीलाल द्वारा लेखबद्ध की गयी थी, जो प्रदर्श पी—1 होकर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है एवं विवेचना के दौरान घटनास्थल नौधा रोड़ पर जाकर घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श पी—2 फरियादी मुलायम सिंह की निशानदेही पर तैयार करने और उसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है और इसी कम में फरियादी मुलायम सिंह, साक्षी देवेन्द्र, रामरूप, जयपाल सिंह, अशोक सिंह, प्रधान आरक्षक दीनानाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया जाना बताया है।
- 15. विवेचक साक्षी एस0डी० गौतम (अ0सा0-7) का यह भी कहना रहा है कि दिनांक 18.11.11 को अभियुक्त मनोज को बालाजी मंदिर मिहोना के पास से गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किये

जाने और उसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने और तलाशी के दौरान एक मोबाइल जी—5 तथा एक सौ का नोट और पांच रूपये का नौट कुल 105/—रूपये मिलने और अभियुक्त से पूछताछ के दौरान लूट के रूपयों में से एक हजार रूपये और शेष राशि खर्च होने और लूट के दौरान जिस डण्डे का प्रयोग किया गया था वह डण्डा अपने घर से बरामद कराये जाने की जानकारी देना बताते हुये मैमो प्रदर्श पी—6 के बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है और इसी कम में अभियुक्त मनोज द्वारा अपने घर से एक लाठी बॉस की जब्त कराये जाने और उसका जब्ती पत्रक प्रदर्श पी—7 तैयार किये जाने और उसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होने और दिनांक 16.12.11 को अभियुक्त छोटू खॉ को अन्य अपराध में बंदी होने पर से न्यायालय भिण्ड से अनुमित प्राप्त कर उसे गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—22 तैयार किये जाने सम्बंधी कथन किया है।

16. साक्षी एस०डी० गौतम (अ०सा०-७) का यह भी कहना रहा है कि दिनांक 24.09.11 को अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश को सब इंस्पेक्टर आर०बी० शर्मा द्वारा फार्मल गिरफतार किया गया था और उसके गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-21 के ए से ए भाग पर उक्त आर० बी० शर्मा के हस्ताक्षर होना बताते हुये उन्होंने उसके साथ कार्य किया है इस कारण से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है एवं दिनाक 17.12.11 को अभियुक्त छोटू खाँ से गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना में लूटी गयी मोटर सायिकल अपने घर से बरामद कराये जाने सम्बंधी मैमो प्रदर्श पी-11 देने और उसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होनाब ताया है उक्त दी गयी जानकारी के आधार पर आरोपी द्वारा अपने गाँव तूमरा जिला जालीन से एक मोटर सायिकल

सीडी डीलक्स बॉक्सर कंपनी की लाल रंग की जिसका नं0—एचआर —26 आर—2257 मय रिजरट्रेशन, एक फॉर्म प्रदूषण प्रमाण पत्र पेश करने पर उसे जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्श पी—12 तैयार किये जाने और उसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है एवं प्रकरण में बंदी अभियुक्तगण की पहचान कराये जाने बावत् तहसीलदार पीपरी की ओर पत्र भेजे जाने और बाद विवेचना अभियुक्त छोटू खॉ के मौसी के लडके जाहिद को फरार दर्शाते हुये चालान प्रस्तुत किया जाना बताया है।

- 17. जहां तक अभियोजन का प्रश्न है, सर्वप्रथम अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश एवं मनोज कुमार के संबंध में देखें तो फरियादी मुलायम सिंह उर्फ मुन्ना (अ0सा0—1) की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिसने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त अभियुक्तगण ने अन्य अभियुक्तगण के साथ उसकी मारपीट की थी और हाथ—पैर बांध कर सड़क के किनारे फेंक दिया और मोटर सायिकल और नोकिया मोबाइल कमांक 9977441621 है छुड़ा कर ले गये और वह बिरखड़ी की तरफ भाग गये थे और घटना के समय उसके चाचा भी मौजूद थे। उन्हें भी बदमाशों ने बांध कर डाल दिया था और प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने और तहसीलदार द्वारा शिनाख्त करवाये जाने पर उक्त अभियुक्त मनोज को पहचान पंचनामा प्रदर्शपी—3 और अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश की पहचान पंचनामा प्रदर्शपी—4 के अनुसार करना बताया है।
- 18. उक्त का इस बिन्दु पर व्यापक प्रतिपरीक्षण हुआ है परन्तु प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई विरोधाभास इंगित नहीं हुआ है जिससे कि अन्यथा स्थापित हो सके। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्क के दौरान कहा है कि फरियादी ने रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 अज्ञात

(11) विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती

शा0पु0रौन विरुद्ध अमित आदि

निर्णय दिनांक 16-01-18

पीठासीन अधिकारीः डाँ० कुलदीप जैन

के रूप में लेख करायी है और न्यायालयीन कथन में सभी अभियुक्तों का नाम उल्लेख किया है।

FN-230301005642011

- उपरोक्त तर्कों के आलोक में समग्र अभिलेख और उक्त साक्षी के 19. कथनों के अवलोकन से उक्त साक्षी ने स्वाभाविक रूप से यह कहा है कि पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी-3 और 4 उसके समक्ष सम्पादित की गयी थी। उक्त पहचान कार्यवाही करवाने वाले साक्षी सर्वेश कुमार (अ०सा०-8) जो कि तत्समय तहसील कार्यालय भिण्ड में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहे थे, उनके द्वारा विधिवत् थाना रौन के द्वारा भेजी गयी सूचना के आधार पर अभियुक्त मनोज एवं छोटू 💇 छर्फ विमलेश की पहचान अन्य अभियुक्तगण को मिलाकर फरियादी मुलायम से करायी थी और उन्हें उक्त साक्षी ने सही पहचाना था। उक्त साक्षी के कथन की पुष्टि शिनाख्तगी मैमो प्रदर्श पी-3 एवं 4 से हो रही है। जहां तक प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी द्वारा प्रदर्श पी-4 पर तहसीलदार के नाम की शील लगी होने और अन्य मामूली प्रकृति के विरोधाभासों का प्रश्न है। जैसा कि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि फरियादी से उक्त अभियुक्तगण द्वारा लूट की वारदात के संबंध में कथन आये हैं एवं फरियादी की उस समय क्या मनोदशा रही होगी एवं पुलिस रिपोर्ट और उसके बाद शिनाख्तगी कार्यवाही एवं अन्य पुलिस कार्यवाही में उनसे कानून सम्मत् रूप से व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि इस प्रकार के मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक है एवं कोई लाभ अभियुक्तगण को उपरोक्त के आधार पर प्राप्त नहीं होता है।
- 20. यहां अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का यह भी कहना रहा है कि मामले में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उसमें पहचान कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं हुई है। <u>इस</u>

संबंध में विधिक स्थिति को देखें तो धारा—9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार वे तथ्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु का जिनकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं उन्हें सुसंगत माना गया है। यह प्रावधान अभियुक्त या अपराध से संबंधित वस्तु की पहचान के संबंध में है। न्याय दृष्टांत आर.साजी विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला 2013(1) काइम्स 2017 (एस.सी.) में प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त अधिकारपूर्वक पहचान परेड करवाने का दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहचान परेड की साक्ष्य केवल पृष्टिकारक साक्ष्य होती है। पहचान परेड अनुसंधान के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिये करायी जाती है कि अनुसंधान सही दशा में हो रहा है और पृलिस जिनको संदेही मान रही है वह ही मामले में संबंधित है।

21. <u>माननीय न्यायदृष्टांत श्यामल घोष विरुद्ध स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ए.आई.आर. 2012 एस.सी. 3539</u> के अनुसार पहचान परेड कराने के पीछे यह विचार होता है कि गवाह घटना के समय जिस व्यक्ति को संदेही के रूप में देखना कह रहे हैं उसे चैक किया जा सके। गवाहों की याद्दाश्त को चैक किया जा सके। दं0प्र0सं0 में अनुसंधान अधिकारी पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह पहचान परेड करवाये और ऐसी पहचान परेड न करवाने के कारण गवाहों द्वारा न्यायालय में की गयी पहचान अग्राह्य नहीं हो जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गवाहों द्वारा न्यायालय में प्रथम बार की गयी पहचान को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता, पहचान परेड केवल एक प्रज्ञा का नियम है। इस बिन्दु पर माननीय न्यायदृष्टांत मुंशीसिंह गौतम विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 2005 एस.सी.402, शिवशंकर सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ झारखण्ड ए.आई.आर.2011 एस.सी.

- FN-230301005642011
- 22. उपरोक्त माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक विधि के आलोक में मामले में आयी हुई साक्ष्य को देखें तो पहचान परेड की कार्यवाही सम्पादित करने वाले सर्वेश कुमार (अ०सा०–8) द्वारा अपने कथन में कमशः प्रदर्श पी–3 एवं 4 के शिनाख्तगी पत्रक प्रमाणित किये हैं अपने प्रतिरीक्षण में उक्त साक्षी पर्याप्त रूप से स्थिर रहा है उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नही आये हैं जिससे कि अन्यथा स्थापित हो सके। जहां तक प्रतिपरीक्षण में मामूली प्रकृति के विरोधा मासों का प्रश्न है, किसी भी साक्षी से जिसने कार्यवाही में भाग लिया है उक्त कार्यवाही के लगभग छः वर्ष पश्चात् ऐसी अपेक्षा नहीं रखी जाती है कि छः वर्ष पूर्व उसके द्वारा सम्पादित कार्यवाही का वृत्तांत हू—बहू फोटोचित्रित रूप में दर्शा देगा। ऐसी दशा में उक्त पहचान कार्यवाही की पुष्टि प्रदर्श पी–3 एवं 4 से हो रही है।
- 23. प्रकरण में जहां तक अभियुक्तगण के मैमो, जब्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही का प्रश्न है। इस संबंध में विवेचना अधिकारी एवं मैमो,जब्ती, गिरफ्तारीकर्ता एस0डी० गौतम (अ0सा0—7) का कथन न्यायालय में हुआ है जिसने एएसआई रामजीलाल द्वारा लेखबद्ध की गयी प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 उनके सेवानिवृत्त होने के कारण प्रमाणित की है और विवेचनाकम में घटनास्थल का मानचित्र प्रदर्श पी—2 तैयार किये जाने और उसके उपरांत फरियादी मुलायम सिंह, देवेन्द्र सिंह, रामरूप, जयपाल, अशोक सिंह, प्रधान आरक्षक दीनानाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेख करने एवं अभियुक्त मनोज को दिनांक 18—08—11 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किये जाने एवं उक्त गिरफ्तारी उपरांत पूछताछ में उसकी सूचना प्रदर्श पी—6 के आधार पर जब्ती पत्रक प्रदर्श पी—7 के अनुसार उक्त अभियुक्त मनोज द्वारा अपने घर से निकालकर पेश करने

पर एक लाठी बांस की जब्त किये जाने और इसी क्रम में दिनांक 24—09—11 को अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश को सब इंस्पेक्टर आर0बी0 शर्मा द्वारा फार्मल गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—21 तैयार किये जाने और उसके ए से ए भाग पर उक्त सब इंस्पेक्टर शर्मा के हस्ताक्षर होने और उनके द्वारा उसके साथ कार्य किये जाने के कारण हस्ताक्षर पहचानना बताया है।

- उक्त साक्षी एस0डी0 गौतम (अ0सा0-7) द्वारा अपने कथन में यह भी 24. कहा है कि दिनांक 16—12—11 को अभियुक्त छोटू खां को अन्य अपराध में बंदी होने के कारण न्यायालय भिण्ड से अनुमति प्राप्त कर 🔌 गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—22 तैयार किये जाने और उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्ष्र होने और उक्त अभियुक्त छोटू खां से गवाहों के समक्ष पूछताछ किये जाने पर घटना में लूटी हुई मोटर सायकिल अपने घर से बरामद कराये जाने और मैमो प्रदर्श पी-11 में दी गयी जानकारी के आधार पर अपने गांव तूमरा थाना कौंच जिला जालौन उ०प्र० से एक मोटर सायकिल सी०डी० डीलक्स बॉक्सर लाल रंग की क्रमांक एच.आर.-26 आर.-2257 को मय रिजस्ट्रेशन और एक फॉर्म प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पेश करने पर जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किये जाने और बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और उक्त अभियुक्तगण की पहचान कार्यवाही करवाया जाना भी स्वीकार किया है। जिससे कि उक्त विवेचक साक्षी के कथन की पुष्टि हो रही है।
- 25. यहां इस मामले में आगे विचार करते हुए धारा 394 भा0दं०सं० का अवलोकन करना समीचीन होगा जो निम्नानुसार है—

<u>''लूट करने में स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिये</u>

<u>दण्ड</u>— यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में

स्वेच्छया उपहित कारित करेगा, तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में, या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संपृक्त होगा वह आजीवन कारावास से या किठन कारावास से, जिसकी अविध दस वर्ष तक की हो सकेगी, दिण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- 26. यहां अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अभियोजन की ओर से जो भी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है वह विरोधाभासी है और विवेचना अधिकारी की साक्ष्य भी मामले में स्पष्ट नहीं हुई है और जगह—जगह विरोधाभास दृष्टिगत हुआ है। जबिक अभियोजन की ओर से तर्क के दौरान कहा गया है कि अभियोजन की ओर से मामला स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है और यदि विवेचना अधिकारी के कथनों में यदि कोई विरोधाभास इंगित हुआ भी है तो उसका कोई लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।
- 27. यहां इस संबंध में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विधिक सिद्धांत का अवलोकन किया जाना उचित होगा। इस संबंध में विवेचनाधिकारी की त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में निम्नलिखित विधिक स्थिति अवलोकनीय है:—

Investigation – Faulty investigation alone cannot be a ground for acquittal.

State of U.P. Vs. Jagdeo and others, Judgment dt. 10-12-2002 by the Supreme Court in Criminal Appeal No. 577 of 1995, reported in (2003) 1 SCC 456

Coming to the aspect of the investigation being allegedly faulty, we would like to say that we do not agree with the view taken by the High Court. We would rather like to say that assuming the investigation was faulty, for that reason alone the accused persons cannot be let off of acquitted. For the fault of the prosecution, the perpetrators of such a ghastly crime cannot be allowed to go scot-free.

- FN-230301005642011
- 28. उपरोक्त के आलोक में समग्र अभिलेख के परिशीलन से साक्षी मुलायम सिंह उर्फ मुन्ना (अ०सा०–1), का कथन देखें तो उसके द्वारा अपने कथन में स्पष्ट रूप से जिन अभियुक्तगण के संबंध में उक्त निर्णय में विचार किया जा रहा है, को घटना कारित करने वालों में आलिप्त होना बताया है। इस संबंध में अन्य विवेचक साक्षी एस०डी० गौतम (अ०सा०–7) का परीक्षण भी अवलोकनीय है।
- 29. जहां तक अन्य अभियुक्त छोटू खां का प्रश्न है। उक्त अभियुक्त छोटू खां को इस आधार पर मामले में आलिप्त किया है कि उक्त लूटी गयी सम्पत्ति उसके द्वारा अवैध रूप से यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अभियुक्त मनोज जाटव या उनके साथियों द्वारा वह लूट या डकैती करने में अर्जित की गयी है, प्राप्त की गयी और उसे बेईमानीपूर्वक अपने पास रखा। इस संबंध में धारा 412 भा0दं0सं0 दृष्टव्य है जिसका अवलोकन किया जाना समीचीन होगा। निम्नानुसार है:—

ऐसे सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है— जो कोई ऐसी किसी चुराई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अन्तरित की गयी है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके सम्बन्ध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी सम्पत्ति, जिसके विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दिण्डत किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

- (17) <u>विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती</u>
 <u>शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि</u>
 <u>निर्णय दिनांक 16–01–18</u>
 पीठासीन अधिकारीः डाॅ० कुलदीप जैन
- अभियुक्त छोटू खां के संबंध में अभियोजन की साक्ष्य को देखें तो 30. विवेचना अधिकारी एस०डी० गौतम (अ०सा०-7) द्वारा अपने कथन में दिनांक 16-12-11 को अभियुक्त छोटू खां को अन्य अपराध में बंदी होने से न्यायालय भिण्ड से अनुमति प्राप्त कर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-22 तैयार किया था और दिनांक 17-12-11 को अभियुक्त छोटू खां से गवाहों के समक्ष पूछताछ करने पर उसने घटना में लूटी गयी मोटर सायकिल अपने घर से बरामद कराये जाने संबंधी जानकारी प्रदर्श पी–11 दी थी जिसके बी से बी भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर होकर उक्त दी गयी जानकारी के आधार 💇 पर अपने गांव तूमरा थाना कौंच जिला जालौन उ०प्र0 से एक मोटर सायकिल सी0टी0 डीलक्स बॉक्सर लाल रंग की एच.आर.-26 आर.-2257 मय रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पेश करने पर जब्त कर जब्ती पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया जाना स्वीकार किया है। मामले में मैमो प्रदर्श पी-11 के अवलोकन से उक्त अभियुक्त द्वारा उक्त मोटर सायकिल यह जानते हुए कि लूटकर छुड़ायी गयी थी, प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया है और उसके द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर प्रदर्श पी—12 के जब्ती पत्रक अनुसार उक्त मोटर सायकिल और संबंधित कागजात जब्त हुए हैं। यहां उक्त मैमो, जब्ती के साक्षी दिनेश कुमार (अ०सा0-5) द्वारा उक्त मैमो प्रदर्श पी-11 और जब्ती प्रदर्श पी-12 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

31. यहां अभियुक्त छोटू खां के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के दौरान कहा है कि अभियुक्त छोटू खां के विरूद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है एवं उससे बरामदगी सिद्ध नहीं है और अनुसंधानकर्ता का कथन माने जाने योग्य नहीं है और उक्त

जब्तशुदा माल की कोई शिनाख्तगी नहीं हुई है और न ही उसे आर्टीकल के रूप में मार्क किया गया है और सह—अभियुक्त की सूचना के आधार पर उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, दर्शित करते हुए तर्क किये हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जैसा कि उसके अवलोकन से स्पष्ट है स्वयं फरियादी की साक्ष्य और विवेचक साक्ष्य से स्पष्ट रूप से उक्त अभियुक्त से जब्ती, गिरफ्तारी प्रमाणित हुई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जब्तशुदा वाहन मोटर सायकिल है जिसका रिजस्ट्रेशन कमांक है और उसकी उक्त रिजस्ट्रेशन कमांक के आधार पर स्पष्ट पहचान है। यहां अभियुक्त का ऐसा कहना नहीं रहा है कि उक्त मोटर सायकिल उसकी स्वयं की है। अपनी सामान्य परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं० में भी उक्त अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई तथ्य नहीं दर्शाया है जिससे कि अन्यथा स्थापित हो सके। ऐसी दशा में उसके विपरीत ही धारा 114 साक्ष्य अधिनियम में वर्णित प्रावधान अनुसार उपधारण की जावेगी।

32. समग्र रूप से अभियोजन साक्ष्य को देखें तो विवेचक साक्षी एस0डी0 गौतम (अ0सा0-7) द्वारा उक्त मामले में जब्तशुदा मुद्देमाल जो प्रदर्श पी-7 एवं 12 के अनुसार जब्त हुए हैं, प्रमाणित किये हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि मामले में जो मोटर सायिकल जब्त हुई है वह अपने रिजस्ट्रेशन कमांक के कारण अपनी विशिष्टता रखती हैं और इस प्रकार की दूसरी मोटर सायिकल बाजार में उपलब्ध होगी, ऐसा अभियुक्तगण की ओर से कहना नहीं रहा है और न ही ऐसा संभव प्रतीत होता है। इस संबंध में अभियुक्तगण की सामान्य परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में उनसे साक्षीगण द्वारा उनके विरूद्ध कथन देने बावत् पूछे जाने पर उन्होंने ऐसा कोई कारण बताने से इंकार किया। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्तगण का परीक्षण मात्र औपचारिकता नहीं

है उनसे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित होता है परन्तु कोई स्पष्टीकरण उक्त अभियुक्तगण की ओर से इस संबंध में दर्शित नहीं किया गया है जिससे उनके विपरीत ही उपधारित किया जावेगा।

- 33. यहां धारा 114-ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जिसके द्वारा चुराई हुई सम्पत्ति के संबंध में दो उपधारणायें बनती हैं अर्थात् यह कि वह व्यक्ति जिसके कब्जे में चोरी के तुरंत बाद ही चुराया हुआ माल मिलता है वह या तो चोर ही है, या उसने उस माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया। यह प्रश्न प्रत्येक विशिष्टि मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि दोनों में से कौन सी उपधारणा की जानी है। वर्तमान मामले के अवलोकन से अभियुक्त छोटू खां के विरुद्ध द्वितीय अपधारणा प्रमाणित हो रही है।
- 34. यद्यपि एकल साक्षी की अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जा सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसे साक्षी की अभिसाक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय होनी चाहिये। यहां इस विधिक स्थिति का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि किसी साक्षी की अभिसाक्ष्य को मात्र इस आधार पर यांत्रिक तरीके से अविश्वसनीय ठहराकर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्र स्त्रोत से उसकी साक्ष्य की संपुष्टि नहीं है,क्योंकि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संपुष्टि का नियम सावधानी एवं प्रज्ञा का नियम है, विधि का नियम नहीं है। जहां किसी साक्षी की अभिसाक्ष्य विश्लेषण एवं परीक्षण के पश्चात् विश्वसनीय है, वहां उसके आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित करने में कोई अवैधानिकता नहीं हो सकती है। इस कम में न्याय दृष्टांत लालू माझी विरुद्ध झारखण्ड राज्य (2003) 2 एस.सी.सी. 401, उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध अनिल सिंह ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 1998 तथा वादी वेलू थिवार विरुद्ध

विशेष प्रकरण कृमांक 51 / 11 डकैती शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि निर्णय दिनांक 16–01–18 पीठासीन अधिकारीः डाॅं0 कुलदीप जैन

मद्रास राज्य ए.आई.आर.1957 एस.सी.—614 में किये गये विधिक प्रतिपादन सुसंगत एवं अवलोकनीय हैं।

(20)

- 35. वर्तमान मामले में मुलायम सिंह उर्फ मुन्ना (अ०सा०—1) की अभिसाक्ष्य उक्त कसौटी पर खरी उतरती है एवं उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई दोष उजागर नहीं हुआ है जिससे कि अन्यथा कोई साबित हो सके। जहां तक प्रतिपरीक्षण में मामूली प्रकृति के विरोधाभासों का प्रश्न है, जैसा कि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना के काफी समय पश्चात् उक्त साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में हुआ है ऐसी दशा में ऐसा मामूली प्रकृति का विरोधाभास घटना की स्वाभाविकता को ही दर्शाता है एवं कोई लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।
- 36. यहां साक्षीगण के कथनों में आये विरोधाभष पर विचार करते समय न्याय दृष्टांत <u>भरवाडा भोगिन भाई, हिरजी भाई, विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 753</u> में दिये गये कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही विरोधाभाषों पर कोई राय बनाना चाहिए ये सिद्धांत इस प्रकार हैं:—
 - (i) किसी भी गवाह से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह छाया चित्रण या फोटोग्राफिक याददाश्त रख सके और घटना के सारे विस्तृत विवरण याद रख सके उसके मस्तिष्क पर वीडियो टेप की तरह घटना का पुनः चित्रण हो जाये यह संभव नहीं है।
 - (ii) सामान्यतः ऐसा होता है कि गवाह घटना स्थल पर आ पहुंचता है गवाह को घटना होने की कोई प्रत्याशा नहीं होती है इस कारण वह आश्चर्य चिकत रह जाता है और उस समय उसकी मानसिक क्षमता ऐसी नहीं होती कि वह घटना के विस्तृत विवरण को ग्रहण कर सके।
 - (iii) निरीक्षण करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है, एक

व्यक्ति किसी बात पर ध्यान देता है दूसरा नहीं देता है, कोई क्षण किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई इमेज बनाता है जबकि दूसरा व्यक्ति उस तथ्य पर ध्यान नहीं देता है।

- (iv) सामान्यतः व्यक्ति सही–सही रूप से उसके सामने हुई बातचीत में उपयोग हुए शब्दों को पुनः नहीं दोहरा सकता जो उसने सुने थे वह बातचीत का मुख्य अर्थ बतला सकता है, यह अवास्तविक होगा कि किसी गवाह से टेप रिकार्डर के समान दोहराने की अपेक्षा की जाये।
- (v) घटना का ठीक समय बतलाने के संबंध में, घटना की अवधि बतलाने में व्यक्ति उनके अनुमान या गैसवर्क काम में लेते हैं। वास्तविक समय बतलाने की अपेक्षा किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती यह तथ्य भी प्रत्येक व्यक्ति के समय बोध क्षमता पर निर्भर करता है।
- (vi) सामान्यतः घटनाक्रम समय में और तेज गति से हो जाती है ऐसे में सिलसिलेवार घटना का विवरण देने की अपेक्षा गवाह से नहीं की जा सकती। ऐसे में गवाह का भ्रम में पड़ना स्वभाविक होता है।
- (vii) एक गवाह चाहे सत्यवादी हो वह न्यायालय के वातारण से और अधिवक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण की चुभन से नर्वस हो जाता है और थोड़ा भ्रमित हो जाता है और वह असत्य न मान लिया जाये इस डर से भी भयभीत हो जाता है और कुछ तथ्य अपनी ओर से मिला देता है वह घटना के कम में भी भुलावे में पड़ जाता है और थोड़े काल्पनिक तथ्य जोड़ देता है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए साक्षीगण के कथनों में आये विरोधाभाष पर विचार करना चाहिए। इस तरह वैधानिक

(22) विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती

शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि

निर्णय दिनांक 16—01—18

पीठासीन अधिकारीः डाँ० कुलदीप जैन

स्थित यह स्पष्ट होती है कि किसी भी गवाह के कथनों में विरोधाभाष और लोप आना अत्यन्त स्वाभाविक है क्योंकि घटना और न्यायालय में कथन देने के बीच समय का अन्तर, याददाश्त, निरीक्षण क्षमता में अन्तर, घटना को दोहराने की क्षमता आदि कारक ऐसे हैं जिनके कारण विरोधाभाष और लोप आते हैं। न्यायालय को छोटे, तुच्छ, अल्पमहत्व के व घटना से असंगत बातों के बारे में आये विरोधाभाषों पर अधिक बल नहीं देना चाहिए केवल वे विरोधाभाष जो मूल घटना को प्रभावित करते हों और मामले की जड़ तक जाते हों उन्हीं से किसी साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

- 37. वर्तमान मामले में जैसा कि उसके प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है साक्षियों की जो साक्ष्य आयी है वह उपरोक्त माननीय न्यायदृष्टांत के आलोक में विश्वास योग्य है एवं आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 38. यहां आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी दर्शित किया गया है कि अभियोजन की ओर से हेतुक प्रमाणित नहीं किया गया है। इस संबंध में विश्लेषण किया जाना उचित होगा।

<u>हेतुकः–</u>

- 39. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि वर्तमान मामले में अभिकथित अपराध के विषय में अभियुक्तगण का हेतुक अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है अतः अभियोजन की यह कहानी कि फरियादी मुलायमसिंह उर्फ मुन्ना की मारपीट कर उससे क्रमशः मोटर सायकिल, मोबाइल और राशि छीनकर की गयी लूट, युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद हो जाती है।
- 40. उक्त तर्क के संबंध में विधिक स्थिति पर दृष्टिपात करना उचित होगा

"हेतुक" एक गुह्य मानसिक स्थिति है,जो मनुष्य की उपचेतना (subconscious) में निवास करती है इसके द्वारा ही मन कार्य की ओर अग्रसर होता है विधि शास्त्री सामण्ड ने इसे अंतरस्थ आशय की संज्ञा दी है "हेतुक" वह भीतरी प्रेरणा है, जो किसी कार्य के लिये गुप्त रूप से मन को उकसाती है अंतःपरक होने के कारण "हेतुक" को प्रमाणित करना कठिन होता है, क्योंकि उसकी जानकारी केवल अपराधकर्ता को ही होती है विधि का यह सुनिश्चित सिद्धांत है जहां लूट एवं डकेती के संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध निश्चित, संगत, स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हो, ऐसी परिस्थितियों में लूट एवं डकैती के 🋂 'हेतुक''को प्रमाणित करना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है:— <u>संदर्भ :—</u> अमरजीतसिंह विरूद्ध पंजाब राज्य, 1995 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीमकोर्ट) 495, सुरेन्द्र नारायण उर्फ मुन्ना विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य 1997 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू 4156 न्यायदृष्टांत दिल्ली प्रशासन विरुद्ध सूरेन्द्र पाल जैन उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका 1985 दिल्ली 333 में इस कम में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मानव प्रकृति एक अत्यधिक जटिल चीज है कोई व्यक्ति क्या करता है यह अनेक बातों पर निर्भर होता है ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां ''हेतुक'' पता चल जाये किन्तु ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें ''हेतुक'' का कतई पता न चले, ''हेतुक'' के सबूत का अभाव अपने आप में उन निष्कर्षों को अस्वीकार करने के लिये विकल्प प्रदान नहीं करता है जो अन्यथा तथ्यों और साक्ष्य के समूह से युक्ति युक्त एवं न्यायोचित रूप से निकाले जा सकते हों।

41. वर्तमान मामले में अभिकथित साक्ष्य में एक रूप से अभियोजन द्वारा सभी तथ्य प्रमाणित पाये गये हैं जिनको समग्रता के साथ देखने पर यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण फरियादी मुलायमसिंह उर्फ

मुन्ना से मारपीट कर उससे मोटर सायिकल, मोबाइल, राशि को लूट करने में सम्मिलित रहे हैं एवं जिस प्रकार की साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है एवं अभियुक्तगण की ओर से अपनी सामान्य परीक्षा अंतर्गत धारा 313 दंप्रसं में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं कि उक्त मामले में उसे कोई क्यों आलिप्त किया गया साथ ही अभियुक्त छोटू खां के आधिपत्य में लूट के पश्चात् उक्त मोटर सायिकल पायीं गयीं और उनकी ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है कि क्यों कर उक्त मोटर सायिकल उसके अधिपत्य में आयीं। ऐसी दशा में उपधारणा उसके विपरीत की जावेगी।

42. 🝂 इन सारी परिस्थितियों के साथ—साथ यह भी प्रकट हुआ है कि अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में स्पष्ट रूप से ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो सके कि संबंधित अभियोजन अधिकारियों द्वारा उसके विरूद्ध ही यह मामला क्यों तैयार किया गया। ये समस्त दोषिता कारक साक्ष्य जो निश्चयात्मक प्रकृति की हैं केवल और केवल इस निष्कर्ष को जन्म देती हैं कि अभियुक्त गण मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संबंधित घटनास्थल पर एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के प्रभावशील रहते हुए फरियादी मुलायमसिंह उर्फ मुन्ना के आधिपत्य से उसे स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए मोटर सायकिल, मोबाइल एवं राशि की लूट की एवं अभियुक्त छोटू खां ने उक्त लूट की गयी सामग्री में से मोटर सायकिल यह जानते हुए प्राप्त की। प्रमाणित दोषिता कारक परिस्थितियों की जो श्रृंखला वर्तमान मामले में निर्मित हुई है वह जहां एक ओर अभियुक्तगण की दोषिता से पूरी तरह संगत है वहीं किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता अथवा दोषिता से पूरी तरह असंगत भी है।

- (25) विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती

 शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि

 निर्णय दिनांक 16—01—18

 पीठासीन अधिकारीः डाँ० कुलदीप जैन
- 43. अतः उक्त संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर एकमेव यही निष्कर्ष युक्तियुक्त शंका और संदेह के परे निकलता है कि अभियुक्तगण मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश ने फरियादी मुलायमिसंह उर्फ मुन्ना के आधिपत्य से उसे स्वेच्छया उपहित कारित करते हुए मोटर सायिकल, मोबाइल एवं राशि की लूट की एवं अभियुक्त छोटू खां ने उक्त लूट की गयी मोटर सायिकल जानते हुए प्राप्त की। अतः अभियुक्तगण मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश को उक्तानुसार अपराध करने के लिये संहिता की धारा 394 सहपिटत धारा 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट एवं अभियुक्त छोटू खां को संहिता की धारा 412 के अंतर्गत दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- 44. निर्णय दण्ड पर सुनने के लिये स्थगित किया गया।

(डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (डकैती) क्षेत्र कं.—1 भिण्ड (म.प्र.)

पुनश्च:-

- 45. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश, छोटू खां और उनके विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभियुक्त गण की ओर से निवेदन किया गया है कि अभियुक्तगण को दिये जाने वाले दण्डादेश में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये जबिक अभियोजन की ओर से विधि अनुरूप दण्डादेष दिये जाने का निवेदन किया है। अभियुक्त मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश को संहिता की धारा 394 सहपठित धारा 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं अभियुक्त छोटू खां को संहिता की धारा 412 के अंतर्गत दोषसिद्ध उहराया गया है।
- 46. प्रकरण में जो परिस्थितियां दर्शायी गयी हैं एवं जिस प्रकार की साक्ष्य

अभिलेख पर आयी है उसे दृष्टिगत रखते हुए प्रकट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा जिस प्रकार से फरियादी मुलायमसिंह उर्फ मुन्ना के आधिपत्य की सम्पत्ति उपहित कारित करते हुए प्राप्त की है और जिस प्रकार का घटनाकृम रहा है वर्तमान में जिस प्रकार से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र ज्वाली प्रसाद जाटव को अपराध धारा 394 भा0दं०सं० सहपित 11/13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में व्यतिकृम में तीन माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भूगताया जावे।

FN-230301005642011

- 47. अभियुक्त छोटू उर्फ विमलेश पुत्र मेवालाल जाटव को अपराध धारा 394 भा0 दं०सं० सहपठित 11 / 13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के.एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में व्यतिक्रम में तीन माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताया जावे।
- 48. अभियुक्त छोटू खां पुत्र वहीद उर्फ अल्लादीन को अपराध धारा 412 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये **पांच वर्ष (5 वर्ष)** के सश्रम कारावास एवं **एक हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की दशा में व्यतिक्रम में तीन माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताया जावे।
- 49. अभियुक्तगण छोटू उर्फ विमलेश के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया गया। सजा वारंट बनाया जाकर सजा भुगतने हेतु जिला जेल भिण्ड भेजा जावे।

विशेष प्रकरण कमांक 51 / 11 डकैती <u>शा0पु0रौन विरूद्ध अमित आदि</u> <u>निर्णय दिनांक 16—01—18</u> <u>पीठासीन अधिकारीः डॉ0 कुलदीप जैन</u>

- 50. अभियुक्त मनोज कुमार एवं छोटू खां प्रोडक्शन वारंट के पालन में अभिरक्षा में उपस्थित हैं। उनका प्रोडक्शन वारंट मामले में संलग्न कर सजा वारंट बनाया जाकर सजा भुगतने हेतु जिला जेल भिण्ड भेजा जावे।
- 51. प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश एवं छोटू खां द्वारा विताई गई निरोध की अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण—पत्र तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जावे।
- 52. निर्णय की निःशुल्क सत्य प्रतिलिपि अभियुक्तगण मनोज कुमार, छोटू उर्फ विमलेश एवं छोटू खां को अविलंब प्रदाय की जावें।
- 53. प्रकरण में अभियुक्त अमित एवं जितेन्द्र फरार हैं अतः अभिलेख एवं मुद्देमाल सुरक्षित रखे जाने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।
- 54. धारा 365 दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुसार निर्णय की प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को कार्यवाही हेतु विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से प्रेषित की जावे।

स्थान—सिविल न्यायालय, भिण्ड दिनांक 16—01—2018

मेरे उद्बोधन पर टंकित। सही / – (डॉo कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (डकैती) क्षेत्र कं.–1 भिण्ड (म.प्र.)

निर्णय आज दिनांक 16-01-2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। सही / -

> (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (डकैती) क्षेत्र कं.—1 भिण्ड (म.प्र.)